रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1987/फाल्गुन 11, 1908
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1987/PHALGUNA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1987

अधिसूचना संख्या 1/87

सं. आई एफ सी/बी एण्ड सी/विशेष महासभा/87-36119.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ.) में उल्लिखित निगम के शेयरधारियों, अर्थात् क्रमश: अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों की विशेष महासभा सोमवार, 6 अप्रैल, 1987 को सायं 4.00 बजे (मानक समय) निगम के प्रधान कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा भवन, 16-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य का संव्यवहार करने के लिए आयोजित की जाएगी :—

"निम्नलिखित प्रत्येक के स्थान पर एक निदेशक का चुनाव करना :

(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए निदेशक, श्री जे.एस. वार्ष्णेय के स्थान पर, जो सेवा निवृत्त हो गए हैं परन्तु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन पुनर्चुनाव के लिए पात्र है;

(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए निदेशक, श्री एस.के. सेठ के स्थान पर, जो सेवा निवृत्त हो गए हैं परन्तु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन पुनर्चुनाव के लिए पात्र है तथा

(ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ.) में उल्लिखित शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए निदेशक, श्री बी.एस. थोरात के स्थान पर, जो सेवा निवृत्त हो गए हैं परन्तु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन पुनर्चुनाव के लिए पात्र हैं।"

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 11 उप-धारा (2) में संशोधन के अनुरूप निर्वाचित निदेशक की अवधि 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष हो जाने पर उक्त निदेशक, अर्थात् सर्वश्री जे.एस. वार्ष्णेय, एस.के. सेठ एवं बी.एस. थोरात 2 फरवरी, 1987, औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रवृत्त होने की तारीख से निवृत्त हो गए हैं। लेकिन, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक की शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त

हुए उपरोक्त निदेशक उनके उत्तरवर्ती निदेशक का चुनाव होने तक पदासीन रहेंगे ।]

एस. के. ऋषि, कार्यपालक निदेशक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 27th February, 1987

NOTIFICATION NO. 1/87

No. IFC/B&C/Spl. GM/87-36419.—Notice is hereby given that a Special General meeting of the shareholders of the Corporation referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, viz. scheduled banks; insurance companies, investment trusts and other like financial institutions; and cooperative banks respectively will be held on Monday, the 6th April, 1987 at 4.00 P.M. (Standard Time) in the Head Office of the Corporation, Bank of Baroda Building (8th Floor), 16-Sansad Marg, New Delhi-110001, to transact the following business :—

"To elect one Director each in place of :

(a) Shri J. S. Varshneya, Director elected to represent shareholders referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, who retires but is eligible for re-election under Section 11 of the IFC Act, 1948 ;

(b) Shri S. K. Seth, Director elected to represent shareholders referred to in clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, who retires but is eligible for re-election under Section 11 of the IFC Act, 1948; and

(c) Shri B. S. Thorat, Director elected to represent shareholders referred to in clause (e) of sub-section (1) of Section 10 of the IFC Act, 1948, who retires but is eligible for re-election under Section 11 of the IFC Act, 1948."

[Pursuant to amendment to sub-section (2) of Section 11 of the IFC Act, 1948 in regard to reduction in the term of elected Directors from 4 years to 3 years, the aforesaid Directors, namely, S/Shri J. S. Varshneya, S. K. Seth and B. S. Thorat, are deemed to have retired w.e.f. the 2nd February, 1987, the date from which the Industrial Finance Corporation (Amendment) Act, 1986, has come into force. In terms of the second proviso to sub-section (2) of Section 11 of IFC Act, the aforesaid retiring Directors would, however, continue in office till their successors have been elected.]

S. K. RISHI, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987